न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/12853/2004/अलवर</u>

1– श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री चन्दगीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम माछरोली, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर
2– श्रीमती लाली पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री रतनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम माछरोली, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर
3– श्रीमती इन्द्रादेवी पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री धर्मवीर, जाति अहीर, निवासी ग्राम मानजोर, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीनदयाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम भीखावास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

–प्रत्यर्थी

2– ग्राम पंचायत जसाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जसाई, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

–प्रारूपिक अप्रार्थी

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री राम दयाल मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता प्रत्यार्थी

निर्णय

दिनांकः– 27–02–2024

अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या– 58/2004 बउनवानी वीरेन्द्र बनाम शांतिदेवी व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि स्वीकृत रूप से उक्त भूमि काशीराम की थी और काशीराम के जायज वारिस पुत्रिया हैं। वीरेंद्र

के हक में गोदनामा और गिफ्ट डीड दोनों ही निरस्त हो चुके हैं लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति का जो आदेश पारित किया गया है और मूल वाद के निर्णय तक नामांतकरण की कार्यवाही को रोका गया है वह उचित नहीं है इसलिए अब इसे अपीलार्थीगण के नाम किया जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि धारा 63(4) के तहत अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और काशीराम को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं इसलिए उक्त आराजी अपीलार्थीगण के नाम नामांतकरण नहीं हो सकता इसलिए अपील खारिज की जावे।

5– उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपील में वर्णित विवादित आराजी खसरा जिसका विवरण अपील के प्रथम पैरा में उल्लेख किया है जो कुल किता 16 रकबा 32 बीघा 01 बिस्वा ग्राम भिखावास तहसील मुंडावर जिला अलवर में स्थित है जो काशीराम के नाम से थी और काशीराम का देहांत दिनांक 02–10–2002 को हो चुका है और अपीलार्थीगण शांति, लाली और इंदिरा उसकी जयंदा पुत्रियां हैं ग्राम पंचायत द्वारा काशीराम की फौतगी के पश्चात् उनके हक में किया गया नामांतरण आदेश संख्या 209/20–11–2002 द्वारा अपास्त कर दिया जिसके विरुद्ध उपखंड अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी मुंडावर द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय ग्राम पंचायत जसाई दिनांक 20–11–2002 बाबत् नामांतकरण संख्या– 209 वाके ग्राम भीकावास का अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण नामांतरण हेतु तहसीलदार मुंडावर को रिमांड कर आदेश दिए जाते हैं कि वह मृतक काशीराम के जायज वारिसान की जांच कर बाद सुनवाई विरासत का नामांतरण स्वीकार करने की कार्यवाही तामिल में लाई जावे। इस आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील संख्या 58/2004 वीरेंद्र सिंह बनाम शांति देवी वगैरा प्रस्तुत हुई और जिसमें दिनांक 11–10–2004 को यह आदेश पारित किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है की ‘‘मूल वाद के निर्णय तक नामांतरण की संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित रखा जावे” और इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण शांति वगैरा द्वारा अपील पेश की गई है और इसी संबंध में वीरेंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुंडावर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2000 वीरेंद्र सिंह बनाम काशीराम अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 सपठित धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद दिनांक 12–06–2001 को एकपक्षीय खारिज किया गया। उसके विरुद्ध वादी वीरेंद्र द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां अपील संख्या

188/2001 पेश हुई जो दिनांक 26.4.2004 को स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया। उस आदेश के विरुद्ध काशीराम के वारिसान द्वारा शांति देवी वगै0 द्वारा अपील संख्या 12593/2004 मंडल हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय आज ही किया गया है और वादी का वाद खारिज किया गया है और अपीलार्थी शांति देवी वगैरा की अपील को स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में मूल वाद का अंतिम रूप से निपटारा हो चुका है और वादी वीरेंद्र सिंह का कोई हक इस विवादित संपत्ति में नहीं बनता है। इसलिए अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाकर मृतक काशीराम के विधिक वरिसान के पक्ष नियमानुसार जांच करके में नामांतकरण खोलने की कार्यवाही एक माह में सुनिश्चित करें। इस प्रकार इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

7– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 12853/2004 बउनवानी शांतिदेवी वगै0 बनाम वीरेन्द्र सिंह उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर मृतक काशीराम के विधिक वरिसान अपीलार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार अविलम्ब नामांतकरण खोलने के आदेश तहसीलदार मुण्डावर को दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य